छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर (छ.ग.)
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

क्रमांक / पंजीयन / 2024 / 456 रायपुर, दिनांक - 21/08/2024

-:: पंजीयन नवीनीकरण सूचना ::-

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में 04 जुलाई 2002 से 30 जून 2019 तक पंजीकृत समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि (बिना विलंब शुल्क सहित) आगामी **31 अगस्त 2024** निर्धारित है। विलंब शुल्क के साथ आवेदक अपना आवेदन पत्र अंतिम तिथि **30 सितंबर 2024** जमा कर सकते है। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, दस्तावेजों की सूची एवं शुल्क की जानकारी परिषद् के वेबसाईट www.cgaupcb.in में उपलब्ध है। आवेदक अपना आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्री डाक द्वारा कार्यालयीन पते पर प्रस्तुत कर सकते है।

2/- परिषद् में पंजीकृत चिकित्सक जिनका पंजीयन नवीनीकरण किया जाना है उन्हें कार्यालय में उपलब्ध उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है। कुछ चिकित्सकों के पत्र पता परिवर्तन होने के कारण वापस प्राप्त हुए हैं। अधिनियम के प्रावधानानुसार किसी भी पता परिवर्तन की सूचना चिकित्सा व्यवसायी को कार्यालय में दिया जाना आवश्यक है। तदानुसार ऐसे चिकित्सक जिनका पता परिवर्तित हो चुका है वे कार्यालय में तत्काल संपर्क करें।

3/ यह भी अवगत होवें कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2023 तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक - 20-28 / 2022-Registration (Meeting) दिनांक 30 / 04 / 2024 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 के निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत् नवीनीकरण हेतु दिनांक **30 सितंबर 2024** तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले चिकित्सा व्यवसायियों के नाम राज्य रजिस्टर से पृथक करते हुए उन्हे जारी पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिए चिकित्सा व्यवसायी स्वयं जवाबदेह होंगे।

क्रमशः पेज.......02

अतएव उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में **30 जून 2019** तक पंजीकृत समस्त चिकित्सा व्यवसायियों से अनुरोध है कि वे पंजीयन नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र समय–सीमा में अतिशीघ्र प्रस्तुत करें तथा किसी भी असुविधा से बचें।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, रायपुर

***